



11 September, 2024

## ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)

**संदर्भ:** हाल के नियमों के अनुसार जीएनएसएस से सुसज्जित वाहन मालिकों को राजमार्गों पर प्रतिदिन 20 किमी तक निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है।

### अवलोकन:

- राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2024 के अंतर्गत 20 किमी से अधिक दूरी के लिए शुल्क लागू होगा।
- नितिन गडकरी ने एनएच-275 और एनएच-709 पर जीएनएसएस शुल्क पर अध्ययन करने के लिए पायलट परियोजना की घोषणा की, जिसकी वैश्विक ईओआई 7 जून से 22 जुलाई, 2024 तक होगी।

**ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस):** यह समय और कक्षीय डेटा के साथ संकेतों को प्रेषित करके वैश्विक स्थिति प्रदान करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है, जो रिसेीवर को त्रिपक्षीय माध्यम से स्थान निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।

### आवश्यक भाग

- उपग्रह :** जीएनएसएस उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और संकेत प्रेषित करते हैं जिनमें समय और स्थिति संबंधी डेटा होता है।
- रिसेीवर :** ये उपकरण अनेक उपग्रहों से प्राप्त संकेतों के आधार पर स्थिति की गणना करते हैं।
- त्रिपार्श्वीकरण (Trilateration) :** इस विधि में कम से कम चार उपग्रहों से दूरी मापकर रिसेीवर के स्थान की गणना की जाती है।


### वैश्विक जीएनएसएस नेटवर्क

- जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम)**
  - ऑपरेटर :** यूएसए
  - कवरेज :** जीपीएस वैश्विक कवरेज प्रदान करता है।
  - जीपीएस प्रणाली की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी और 1993 तक 24 उपग्रहों के साथ यह पूरी तरह से चालू हो गयी थी।
  - जीपीएस आमतौर पर लगभग 5 मीटर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है।
- गैलिलियो**
  - संचालक :** यूरोपीय संघ
  - कवरेज :** गैलिलियो वैश्विक कवरेज प्रदान करता है।
  - गैलिलियो का लक्ष्य उन्नत एग्लोरिडम और अतिरिक्त उपग्रहों का उपयोग करके जीपीएस की तुलना में उच्च सटीकता प्रदान करना है।
- ग्लोनास (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम)**
  - ऑपरेटर :** रूस।
  - कवरेज :** ग्लोनास वैश्विक कवरेज प्रदान करता है।
  - ग्लोनास की सटीकता जीपीएस के बराबर है तथा उपग्रहों की संख्या बढ़ने से इसकी सटीकता में सुधार होता है।
- बेइदोउ (BeiDou) नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम**
  - ऑपरेटर :** चीन
  - कवरेज :** BeiDou वैश्विक कवरेज प्रदान करता है।
  - बेइदोउ जीपीएस के बराबर या उससे बेहतर स्थिति निर्धारण सटीकता प्रदान करता है तथा उच्च परिशुद्धता के साथ क्षेत्रीय सेवाएं प्रदान करता है।
- क्यूजेडएसएस (क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम)**
  - ऑपरेटर :** जापान

- कवरेज :** QZSS मुख्य रूप से जापान और आसपास के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है।
- QZSS विशेष रूप से जापान में GPS सटीकता को बढ़ाता है।

### भारतीय जीएनएसएस प्रणालियाँ

- NavIC (भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन)**
  - ऑपरेटर :** NavIC का संचालन भारत, विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा किया जाता है।
  - कवरेज :** NavIC पूरे भारत में कवरेज प्रदान करता है और इसकी सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
  - उपग्रह :** नाविक प्रणाली में 8 उपग्रह शामिल हैं।
  - सटीकता :** NavIC लगभग 3 मीटर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है, जो GPS से अधिक सटीक है।
  - अनुप्रयोग :** NavIC के वर्तमान अनुप्रयोगों में वाहन ट्रैकिंग, मछुआरों के लिए आपातकालीन अलर्ट और प्राकृतिक आपदा निगरानी शामिल हैं।
  - भविष्य की योजनाएँ :** भारत की महत्वाकांक्षा है कि समय के साथ NavIC को एक क्षेत्रीय प्रणाली से वैश्विक प्रणाली में विस्तारित किया जाए।
- आईआरएनएसएस (भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम)**
  - पूर्ववर्ती :** आईआरएनएसएस, नाविक का पूर्ववर्ती है और नाविक प्रणाली का हिस्सा है।
- परिचालन तंत्र**



- उपग्रहों की कक्षाएँ :** जीएनएसएस उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर, मध्यम-पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाता है।
- उपग्रह तारामंडल :** व्यापक वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, कम से कम 24 से 30 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। ये उपग्रह दिन में दो बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं।
- त्रिपक्षीय प्रक्रिया :**
  - एक उपग्रह से प्राप्त सिग्नल के आधार पर रिसेीवर पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार सतह पर अपना स्थान निर्धारित कर सकता है।
  - दो उपग्रहों से प्राप्त संकेतों के आधार पर, रिसेीवर स्थान को उन दो बिंदुओं में से किसी एक तक सीमित कर सकता है जहां उनकी गोलाकार सतहें एक दूसरे को काटती हैं।
  - तीन उपग्रहों के साथ, रिसेीवर पृथ्वी की सतह पर दो आयामों में अपनी स्थिति निर्धारित कर सकता है।

## Face to Face Centres





11 September, 2024

- चौथा उपग्रह जोड़ने से ऊंचाई का निर्धारण संभव हो जाता है, जिससे त्रि-आयामी स्थिति प्राप्त होती है।

### जीपीएस और जीएनएसएस के बीच अंतर

- जीपीएस** : जीपीएस विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को संदर्भित करता है। यह व्यापक जीएनएसएस ढांचे का एक हिस्सा है।
- जीएनएसएस** : जीएनएसएस एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं, जैसे कि जीपीएस, गैलिलियो, ग्लोनास, बेईडू और नैविक जैसी क्षेत्रीय प्रणालियाँ। कई जीएनएसएस सिस्टम के इस्तेमाल से सिर्फ जीपीएस पर निर्भर रहने की तुलना में सटीकता और उपलब्धता बढ़ सकती है।

## अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

### (एनआरएफ)/(एनआरएफ)

**संदर्भ:** हाल ही में, एनआरएफ दोहराव को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का समन्वय करेगा।

#### अवलोकन:

- एनआरएफ संसाधनों का समन्वय करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को संरक्षित करेगा, जिसका लक्ष्य भारत के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य को अधिक सुसंगत और प्रभावशाली बनाना है।
- गैर-सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर करते हुए, एनआरएफ अनुसंधान को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाएगा तथा वित्तपोषण में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करेगा।

एनआरएफ भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का निर्देशन और देखरेख करता है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों में नवाचार और विकास को आगे बढ़ाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनआरएफ के कार्यों की देखरेख करेगा।

#### एनआरएफ अधिनियम, 2023 :

- यह अधिनियम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के स्थान पर एनआरएफ के गठन को अधिकृत करता है।
- एनआरएफ वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता का मार्गदर्शन करेगा।
- यह 2023 से 2028 तक 50,000 करोड़ रुपये से वित्त पोषित है।

#### उत्पत्ति और विकास :

- यह अवधारणा 2005 में प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
- यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अनुमोदित हुआ तथा 2008 में SERB के रूप में विकसित हुआ।
- एनआरएफ का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान में उच्च स्तरीय रणनीतिक मार्गदर्शन और निवेश प्रदान करना है।

#### उद्देश्य:

- अनुसंधान में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना।
- राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सरकारी वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा आवंटित करना।

#### महत्वपूर्ण कार्य:

- रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास रोडमैप विकसित करना।

- शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान अवसरचना का विस्तार करना।
- प्रतिस्पर्धी, समकक्ष-समीक्षित अनुसंधान अनुदानों का वित्तपोषण।
- अनुसंधान को पूंजी-प्रधान प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में सुविधा प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहभागिता को बढ़ाना।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से निवेश को प्रोत्साहित करना।
- वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यय का वार्षिक मूल्यांकन करना।

#### शासी बोर्ड:

- अध्यक्ष/अध्यक्ष:** भारत के प्रधान मंत्री।
- उपाध्यक्ष:** केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री।
- सदस्य सचिव:** प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार।

#### अतिरिक्त सदस्य:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान आदि जैसे संबंधित विभागों के सचिव।

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यवसाय क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के प्रतिनिधि।

#### राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से सम्बंधित अन्य तथ्य -

- भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है, जो 2% के वैश्विक मानक से कम है।
- विज्ञान के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए वित्तपोषण में पर्याप्त वृद्धि तथा रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- भारत में जीईआरडी में सरकारी वित्तपोषण का योगदान 52% है, जो अमेरिका, जर्मनी और चीन की तुलना में काफी अधिक है।
- एनआरएफ का उद्देश्य निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना है।

#### राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का महत्व और क्षमता

- एनआरएफ वंचित, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देता है।
- एनआरएफ सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी सहित विविध अनुसंधान क्षेत्रों को समर्थन देता है।
- एनआरएफ सुपरकंप्यूटिंग और क्वांटम अनुसंधान जैसे मिशनों का प्रबंधन और कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से करता है।
- एनआरएफ निजी क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाते हुए व्यवसाय, शिक्षा, सरकार और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है।

## राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल)

**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने वन्यजीव क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों और बुनियादी ढांचे सहित 121 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

#### अवलोकन:

- गुजरात में ट्रांसमिशन लाइनों के लिए हाल ही में दी गई मंजूरी में कच्छ रेगिस्तान और जंगली गधा अभयारण्यों की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें अनिवार्य शमन उपाय भी शामिल हैं।
- हाल ही में एनबीडब्ल्यूएल मंजूरी की शर्तों के तहत वन्यजीवों के संपर्क को रोकने के लिए संचरण स्तंभों की तथा पर्यावास की सुरक्षा करने को बनाए रखने के लिए जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

## Face to Face Centres





11 September, 2024

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) वन्यजीव संबंधी मामलों के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय है, जो वन्यजीव संरक्षण और वन विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह एक वैधानिक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (डब्ल्यूएलपीए) की धारा 5ए के तहत गठित निकाय है।

यह संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि) में और उसके आसपास परियोजनाओं (सरकारी परियोजनाओं सहित) को मंजूरी देता है।

यह एक सलाहकार बोर्ड है और देश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।

- **स्थापना :** 2003
- **प्रतिस्थापित :** भारतीय वन्यजीव बोर्ड (1952)
- **अध्यक्ष :** भारत के प्रधान मंत्री
- **उपाध्यक्ष :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
- **संरचना :** प्रधानमंत्री और प्रमुख अधिकारियों सहित 47 सदस्य

➤ **कार्य :**

- वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और उसका विकास करना।
- वन्यजीवन से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देना।

- सुनिश्चित करना कि एनबीडब्ल्यूएल की स्वीकृति के बिना संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए।

➤ **स्थायी समिति :**

- इसमें पर्यावरण मंत्री द्वारा नामित कम से कम दस सदस्य शामिल होते हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजना मंजूरी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- स्थायी समिति परियोजना अनुमोदन का कार्य संभालती है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों की तुलना में आर्थिक लाभों को प्राथमिकता देने के कारण इसकी आलोचना की जाती है।

➤ **हाल की आलोचनाएँ :**

- एनबीडब्ल्यूएल की छह वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण नीतिगत सलाह और संरक्षण में इसकी भूमिका को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
- उन परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए आलोचना की गई, जिनसे वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।
- समिति में स्वतंत्र पर्यावरणविदों की कमी के कारण परियोजना अनुमोदन की प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना




केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज 11 सितंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना का शुभारंभ करेंगे।

**प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के बारे में:**

- प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की एक उप-योजना है।
- इसका उद्देश्य मछुआरों, मछली पालकों और सहायक श्रमिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं पंजीकरण करने की अनुमति देकर असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को धीरे-धीरे औपचारिक बनाना है।
- इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करना भी है।
- यह लाभार्थियों को जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- इससे 1.7 लाख नई नौकरियों सहित महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- इस योजना में 75,000 महिलाओं को रोजगार देने को भी प्राथमिकता दी गई है।

### घाघरा नदी



हाल ही में, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने घाघरा नदी के पास बहराइच जिले में 'ऑपरेशन भेड़िया' के तहत अपना पाँचवाँ भेड़िया पकड़ा।



**घाघरा नदी के बारे में:**

- घाघरा नदी, गंगा नदी की एक प्रमुख बायीं तटवर्ती सहायक नदी है।
- इसे नेपाल में करनाली नदी, तिब्बत में मापचा त्सांगपो और अवध में निचली घाघरा को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक बारहमासी सीमा पार नदी है जो तिब्बत में मापचाचुंगो ग्लेशियरों से निकलती है।
- यह नदी तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है।

## Face to Face Centres





	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत में ब्रह्मघाट पर सारदा नदी से मिलती है और फिर बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है।</li> <li>इसकी प्रमुख सहायक नदियों में टीला, सेती, बेरी, राम्पी, बूढ़ी गंगा शामिल हैं।</li> <li>उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे बाराबंकी, बस्ती, अयोध्या और मऊ घाघरा नदी के किनारे स्थित हैं।</li> </ul>
<p><b>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग</b></p> 	<p>हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने झारखंड सरकार को एक नोटिस जारी किया, जब झारखंड के जमशेदपुर में M.G.M. अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराह रही एक गर्भवती महिला को लगभग 27 घंटे तक अकेला छोड़ दिया गया।</p> <p>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है।</li> <li>इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को पेरिस सिद्धांतों के अनुसार की गई थी।</li> <li>यह मानवाधिकार उल्लंघनों की समीक्षा और समाधान करने तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।</li> <li>इसे "हमारे देश के संविधान और न्यायालयों द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान से संबंधित अधिकारों" के रूप में मानवाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है।</li> <li>यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, चार सदस्य और चार पदेन सदस्य शामिल हैं।</li> <li>अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक कार्य करते हैं।</li> </ul>
<p><b>केराटिन</b></p> 	<p><b>केराटिन के बारे में:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>केराटिन उपकला कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक संरचनात्मक प्रोटीन है, जो बालों, नाखूनों और त्वचा की बाहरी परत को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है।</li> <li>यह त्वचा की एपिडर्मल परतों और बालों और नाखूनों की कोशिकाओं में पाया जाता है।</li> <li>यह एक रेशेदार प्रोटीन है जो पानी में अधुलनशील है, जिससे यह टिकाऊ और सुरक्षात्मक होता है।</li> <li>केराटिन बालों, त्वचा और नाखूनों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, साथ ही गर्मी, रसायनों और रोगजनकों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है।</li> <li>केराटिन के दो प्रकार हैं जिनमें अल्फा-केराटिन शामिल है, जो मनुष्यों और स्तनधारियों (बाल, त्वचा, नाखून) में पाया जाता है और बीटा-केराटिन, पक्षियों और सरीसृपों (पंख, तराजू) में मौजूद होता है।</li> <li>केराटिन को जानवरों के सींग, पंख और ऊन से निकाला जा सकता है, जिसका उपयोग बालों के सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है और यह कैंसर के उपचार में ट्यूमर मार्कर के रूप में भी काम करता है।</li> <li>केराटिनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएँ केराटिन से भर जाती हैं, मर जाती हैं और बालों, नाखूनों और त्वचा की कठोर, सुरक्षात्मक बाहरी परत बनाती हैं।</li> <li>जैसे-जैसे बाल कोशिकाएँ जड़ से दूर जाती हैं, वे मर जाती हैं और केराटिनाइज़ हो जाती हैं, जिससे बालों को उनकी संरचना और मजबूती मिलती है।</li> </ul>

## POINTS TO PONDER

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? – **गुरुग्राम**
- कौन सा संगठन विकासशील देशों में निवेश के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि प्रदान करता है? – **एमआईजीए**
- लम्बे कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? – **इंडोटेस्टुडो एल्लोंगाटा**
- इस वर्ष एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी से कौन सा देश बुरी तरह प्रभावित हुआ? – **वियतनाम**
- अभ्यास “युद्ध अभ्यास-2024” का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? – **राजस्थान**

